भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2457

13फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्विज्ञान संस्थानों में रिक्त पद

†2457. थिरु डॉ. एस. जगतरक्षकनः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दस वर्षों के दौरान विभिन्न अस्पतालों और केंद्रीय आयुर्विज्ञान संस्थानों जैसे एम्स में स्वीकृत पदों, भरे गए पदों, रिक्त पड़े और बैकलॉग रिक्तियों की संख्या अपिव, अजज/अजजा सहित श्रेणी-वार कितनी है;
(ख) क्या डेटा संग्रहण प्रक्रिया में अब तक सरकार द्वारा कोई मुद्दे अथवा विसंगतियां चिह्नित की गई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं;
(ग) वर्तमान में रिक्तियों विशेष रूप से अपिव के लिए आरक्षित पदों की स्थिति क्या है, जिसमें ऐसी रिक्तियों की संख्या जो अब तक भरी नहीं गई हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा सभी लंबित रिक्तियों, विशेषकर अपिव से संबंधित रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है तथा इस संबंध में प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतावराव जाधव)

(क) से (घ): मंत्रालय के अधीन विभिन्न केंद्रीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में स्वीकृत, भरे हुए, रिक्त संकाय और गैर-संकाय पदों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की लंबित रिक्तियों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है। भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर इन सभी अस्पतालों/संस्थानों में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार रखा जाता है।

पदों का सृजन और भर्ती एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। संकाय/गैर-संकाय पदों की रिक्तियों को भरना उपयुक्त/पात्र/योग्य डॉक्टरों/स्वास्थ्य पेशेवरों की उपलब्धता, आरक्षण रोस्टर, संस्थान के स्थान आदि सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। पीएमएसएसवाई के तहत नव स्थापित एम्स में स्वीकृत रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं:

(i) संकाय आदि के चयन के लिए प्रत्येक संस्थान में उनके संबंधित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्थायी चयन समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक संस्थान को वर्ष में एसएससी की चार बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है।

(ii) राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) और सरकारी मेडिकल कॉलेजों (जीएमसी) से सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों को नए एम्स में संविदा आधार पर प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर 70 वर्ष की आयु तक नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है।

(iii) भारत के भीतर सरकारी संस्थानों या भारत के बाहर शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर कार्यरत प्रोफेसरों, एडिशनल प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों को शिक्षण प्रयोजनों के लिए नए एम्स में विजिटिंग फैकल्टी बनने की अनुमति देने के लिए विजिटिंग फैकल्टी योजना तैयार की गई है।

(iv) नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा (एनओआरसीईटी) विभिन्न एम्स में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती के लिए एम्स दिल्ली द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है।

(v) एम्स दिल्ली द्वारा वर्ष 2025 में आयोजित सामान्य भर्ती परीक्षा (सीआरई) विभिन्न एम्स में ग्रुप बी और सी गैर-संकाय पदों पर भर्ती के लिए वर्ष में दो बार आयोजित की गई थी।

(vi) जूनियर रेजिडेंट (अकादमिक) के चयन के लिए राष्ट्रीय महत्व संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (आईएनआई-सीईटी) और विभिन्न एम्स के लिए सीनियर रेजिडेंट (अकादमिक) के चयन के लिए राष्ट्रीय महत्व संस्थान सुपर स्पेशलिटी (आईएनआई-एसएस) परीक्षा एम्स दिल्ली द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है।

अनुलग्नक

दिनांक 13.02.2026 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2457 के भाग (क) से (घ) के उत्तर के संदर्भित अनुलग्नक

अस्पतालों/संस्थानों में संकाय और गैर-संकाय पदों का विवरण

क्रम संख्या	अस्पताल/संस्थान	संकाय पद			गैर-संकाय पद			बैकलॉग रिक्तियां		
		स्वीकृत	पदस्थ	रिक्त	स्वीकृत	पदस्थ	रिक्त	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	नई दिल्ली (दिल्ली)	1306	860	446	13911	11369	2542	84	91	97
2	भोपाल (मध्य प्रदेश)	312	241	71	3874	2920	954	8	3	22
3	भुवनेश्वर (ओडिशा)	337	238	99	3963	2937	1026	65	65	118
4	जोधपुर (राजस्थान)	405	221	184	4048	3322	726	195	69	172
5	पटना (बिहार)	305	219	86	3884	2752	1132	36	22	51
6	रायपुर (छत्तीसगढ़)	305	200	105	3884	2815	1069	14	13	43
7	ऋषिकेश (उत्तराखंड)	355	229	126	4095	2951	1144	101	47	217

8	बठिंडा (पंजाब)	219	143	76	2090	1453	637	38	17	64
9	बीबीनगर (तेलंगाना)	183	132	51	1374	898	476	18	7	23
10	बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)	217	130	87	1511	987	524	45	19	74
11	देवघर (झारखंड)	208	132	76	1712	940	772	75	42	139
12	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	213	117	96	1492	949	543	4	2	5
13	गुवाहाटी (असम)	183	117	66	1630	879	751	47	17	46
14	जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	183	119	64	1311	935	376	20	10	42
15	कल्याणी (पश्चिम बंगाल)	309	175	134	2221	1171	1050	26	19	29
16	मदुरै (तमिलनाडु)	183	70	113	911	40	871	5	7	8
17	मंगलगिरी (आंध्र प्रदेश)	309	171	138	1953	1291	662	8	5	12
18	नागपुर (महाराष्ट्र)	373	238	135	2107	1395	712	30	19	45
19	रायबरेली (उत्तर प्रदेश)	209	111	98	1613	1120	493	34	16	68
20	राजकोट (गुजरात)	183	78	105	1410	665	745	20	10	39
21	एलएचएमसी और एसोसिएटेड	386	298	88	1812	1343	469	5	1	11

	अस्पताल, नई दिल्ली									
22	जिपमेर, पुडुचेरी	464	360	104	3390	2258	1132	20	9	16
23	पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़	732	593	139	7010	5186	1824	55	141	76

*****